प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स 259/23 दिनांक 23.9.2023

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित–2018)
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 479 समय 9:45 PM
(2) अपराध के घटने का दिन शुक्रवार दिनांक 22.09.2023 समय 01.16 पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 21.09.2023 समय 04.00 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – हस्तलिखित

5. घटना स्थल : – बैक ऑफ इंडिया, शाखा डबोक, उदयपुर
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 425 किलोमीटर
(2) पता –
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
<u>परिवादी</u>
(1) नाम : श्री सुरेन्द्र मालवी
(2) पिता का नाम : स्व. श्री रामलाल मालवी
(3) आयु : 45 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(6) व्यवसाय : ड्राईवर
(7) पता: 135, किशनपोल, जिला उदयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहितः
1. श्री खेमसिंह देवडा पुत्र श्री शम्भुसिंह देवडा उम्र 39 वर्ष निवासी गांव मेडता, पुलिस थाना डबोक, उदयपुर हाल सरपंच, ग्राम पंचायत मेडता, पंचातत समिति मावली, जिला उदयपुर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा –50,000/–		दिनांक 21.09.2023 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों उदयपुर पर परिवादी द्वारा शिकायत की गई कि श्री खेमसिंह देवडा सरपंच, ग्राम पंचायत मेडता, तहसील मावली, जिला उदयपुर द्वारा परिवादी के एल.सोल्जर्स सिनियर सैकण्डरी स्कूल में जबरन फीस माफ करने का दबाव बनाकर परिवादी के विरूध सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाईन शिकायत आबादी भूमि पर स्कुल बनाकर अतिक्रमण करने के संबन्ध में की गई तथा स्कुल का आबादी अतिक्रमण नियमित करवाने के नाम से रिश्वत की मांग कर रहे है। जिस पर मांग सत्यापन करवाया गया तो रिश्वत राशि की पुष्टि होने पर दिनांक 22.09.2023 को दौरानें ट्रेप कार्यवाही श्री खेमसिंह देवडा सरपंच ग्राम पंचायत मेडता को 50,000 रूपये नगद एवं आरोपी के स्वयं के नाम 2,65,000 रूपये का बैंक ऑफ इण्डिया का चेक (कुल रिश्वति राशि 3,15,000) ग्रहण करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जिसको मौके से बरामद किया गया।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 20,000 रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान् अति0 पुलिस अधिक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
उदयपुर (राज.)

विषय :– कानूनी कार्यवाई करने बाबत्।

महोदय जी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत नम्र निवेदन है कि मेरा नाम सुरेन्द्र मालवी पिता स्व. श्री रामलाल मावली निवासी 135, किशनपोल, उदयपुर है, मै मेडता डबोक में एल.सोल्जर्स सिनियर सैकण्डरी स्कूल का संचालक हूं, यह कि मेरा विद्यालय कृषि भुमि पर बना हुआ है व इसका तहसील मावली में पंजिकृत पट्टा है। इसी वर्ष जुलाई 2023 में मेडता गांव त. मावली के सरपंच श्री खेम सिंह देवडा मेरे विद्यालय में आए और स्वयं के कुछ परिचितो की बच्चो की बकाया फिस माफ करने हेतु कहा तो मैने कहा आप पिछले वर्ष भी इनकी फिस माफ करवा चुके है और आपने कहा कि सत्र 2022–23 की पूरी फिस देगे तो अब ये माफ नहीं कर सकता क्युकि मुझे आर्थिक नुकसान हुआ था, इस पर सरपंच श्री खेम सिंह देवडा ने मुझ परिणाम भुगतने और देख लेने की धमकी दी। दिनांक 07.08.2023 को मेरे विद्यालय के विरूद्ध ऑनलाईन शिकायत दर्ज करवाई की विद्यालय ने आबादी क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण किया है, इस बात को लेकर सरपंच साहब ने मेरे स्कूल के पट्टे को पटवारी व तहसीलदार से नियमित करवाने का दबाव डालकर उक्त मामले का निस्तारण करवाने व मेरे विद्यालय का निर्बाध रूप से सचालन करवाने की एवज् में मुझसे चार लाख रू की रिश्वत की राशि की मांग की गई तथा कुछ दिन पूर्व मुझ पर दबाव बनाकर 25,000/–रू नकद रिश्वत के रूप में ले लिये, शेष राशि 3,75,000/– रू देने का दबाव बनाया तथा दबाव डालकर रिश्वत के तौर पर मुझसे शेष राशि के चेक ले लिये लेकिन मै उनको रिश्वत नहीं देना चाहता था इसलिये मैने चेक में खामियॉ कर दी जिससे चेक से पैसा नहीं निकला बाद में मैने रिश्वत राशि मांग से घबराकर खाता ही फ्रिज करवा दिया, मै उक्त भ्रष्ट सरपंच को मेरे वाजिब काम के लिये रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ, ना ही मेरे और उनके मध्य कोई रंजिश है। मै उक्त भ्रष्ट सरपंच को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। कृपया कानुनी कार्यवाई करावे।

एसडी एसडी
श्री विशाल माथुर श्री ललित सिंह गौड

भवदीय
एसडी
सुरेन्द्र मालवी
9468582757

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 21–09–2023 को समय करीब 4.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्रीमान विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उनके कक्ष बुलाकर कर उनके समक्ष बैठे एक व्यक्ति श्री सुरेन्द्र मालवी पिता स्व. श्री रामलाल मालवी उम्र 52 वर्ष निवासी 135, किशनपोल, जिला उदयपुर का परिवादी के रूप में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी को अपने कक्ष में लेकर आई तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो परिवादी द्वारा अंकित किया गया कि " कि मेरा नाम सुरेन्द्र मालवी पिता स्व. श्री रामलाल मावली निवासी 135, किशनपोल, उदयपुर है, मै मेडता डबोक में एल.सोल्जर्स सिनियर सैकण्डरी स्कूल का संचालक हूं, यह कि मेरा विद्यालय कृषि भुमि पर

बना हुआ है व इसका तहसील मावली में पंजिकृत पट्टा है। इसी वर्ष जुलाई 2023 में मेडता गांव त. मावली के सरपंच श्री खेम सिंह देवडा मेरे विद्यालय में आए और स्वयं के कुछ परिचितो की बच्चो की बकाया फिस माफ करने हेतु कहा तो मैने कहा आप पिछले वर्ष भी इनकी फिस माफ करवा चुके है और आपने कहा कि सत्र 2022–23 की पूरी फिस देगे तो अब ये माफ नहीं कर सकता क्युकि मुझे आर्थिक नुकसान हुआ था, इस पर सरपंच श्री खेम सिंह देवडा ने मुझ परिणाम भुगतने और देख लेने की धमकी दी। दिनांक 07.08.2023 को मेरे विद्यालय के विरूद्व ऑनलाईन शिकायत दर्ज करवाई की विद्यालय ने आबादी क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण किया है, इस बात को लेकर सरपंच साहब ने मेरे स्कूल के पट्टे को पटवारी व तहसीलदार से नियमित करवाने का दबाव डालकर उक्त मामले का निस्तारण करवाने व मेरे विद्यालय का निर्बाध रूप से सचालन करवाने की एवज् में मुझसे चार लाख रू की रिश्वत की राशि की मांग की गई ,तथा कुछ दिन पूर्व मुझ पर दबाव बनाकर 25,000/–रू नकद रिश्वत के रूप में ले लिये, शेष राशि 3,75,000/– रू देने का दबाव बनाया तथा दबाव डालकर रिश्वत के तौर पर मुझसे शेष राशि के चेक ले लिये लेकिन मै उनको रिश्वत नहीं देना चाहता था इसलिये मैने चेक में खामियॉ कर दी जिससे चेक से पैसा नहीं निकला बाद में मैने रिश्वत राशि मांग से घबराकर खाता ही फ्रिज करवा दिया, मै उक्त भ्रष्ट सरपंच को मेरे वाजिब काम के लिये रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ, ना ही मेरे और उनके मध्य कोई रंजिश है। मै उक्त भ्रष्ट सरपंच को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। कृपया कानुनी कार्यवाई करावे''। परिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में मजीद पुछताछ की तो उसके द्वारा शब्द–ब–शब्द सत्य होकर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया होने संबंधी ताईद की गई। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने बताया कि श्री खेम सिंह देवडा सरपंच बहुत शातिर व्यक्ति है वो रिश्वत राशि प्राप्त करने लिये झुठी शिकायते कर रिश्वत देने का दबाव डाल रहे है। मामला रिश्वत राशी मांग एवं लेनदेन का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) में वर्णित अपराध की परिधि में होना पाया जानें पर अग्रिम कार्यवाही हेतु रिश्वत राशी मांग सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया। जिस पर परिवादी श्री सुरेन्द्र मालवी ने बताया कि आज सरपंच साहब मेडता डबोक ही मिल जायेगे और मेरी उनसे रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध में वार्ता हो जायेगी। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय में उपस्थित कानि. सुरेश को मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर लेकर बुलाया तथा कानि. सुरेश का परिचय परिवादी श्री सुरेन्द्र मालवी से करवा गया। परिवादी को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की विधि भलीभांति समझाई गई। तत्पश्चात् समय करीब 4.40 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री सुरेश जाट कानि0 424 को सोनी कंपनी का डिजिटल वॉइस रिकार्डर बरंग काला मय रिक्त मेमोरी कार्ड लगा हुआ देकर तथा परिवादी सुरेन्द्र मालवी को डिजिटल वॉयस रिकोर्डर में वार्ता को रिकार्ड करनें की मुनासिब हिदायत देकर परिवादी की कार से मेडता डबोक तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 6.40 पी.एम. पर श्री सुरेश कानि. 424 ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने मोबाईल नम्बर से कॉल कर बताया कि ''आपके निर्देशानुसार मैं परिवादी सुरेन्द्र मालवी के साथ ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर परिवादी की कार से रवाना हो डबोक पहुचे। समय करीब 5.14 पी.एम. पर संदिग्ध आरोपी श्री खेमसिंह सरपंच ने अपने मोबाईल नम्बर 9928717767 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 9468582757 पर कॉल कर बताया कि आप मुझे सुबह मिलना, जिस पर मै एवं परिवादी उसके स्कूल पर थोडी देर के बैठ हुए थे तभी समय करीब 6.03 पी.एम. पर पुनः संदिग्ध आरोपी श्री खेमसिंह सरपंच ने अपने मोबाईल नम्बर 9928717767 से परिवादी श्री सुरेन्द्र मालवी के मोबाईल नम्बर 9468582757 पर कर परिवादी पुलिस थाना डबोक से थोडा आगे पटवार मण्डल डबोक के बाहर मेन रोड पर बुलाया। जिस पर मेने ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दिया जिसे उसने अपने पहने हुए कपडो में रखा तत्पश्चात् परिवादी को उसकी कार से पुलिस थाना डबोक की तरफ रवाना कर पीछे पीछे मैं परिवादी के स्कुल से उपलब्ध कराई गई मोटरसाईकिल से रवाना हो पुलिस थाना डबोक के पहले पहुंचा। परिवादी अपनी कार से थाने के आगे गया। मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए थाने से कुछ दुरी पहले खडा रहा था। समय करीब 6.34 पी.एम. पर परिवादी पुनः मेरे पास आकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मुझे दिया जिसे मेने बंद कर अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि ''मेरी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच साहब से रिश्वत राशि मांग संबधित वार्ता हो गई है। सरपंच साहब ने कहा कि मैं पटवारी से मिलकर में रिपोर्ट बनवा दूंगा तथा वार्ता के दौरान सरपंच साहब के मांगने पर मेने अपने पास से 10,000 रूपये सरपंच साहब को दिये जिस पर सरपंच साहब ने पूर्व के 25,000 एवं 10,000 रूपये कुल 35,000 प्राप्त होना बताया एवं 3,65,000 रिश्वत राशि की और मांग की जिस पर मेने 50,000 रूपये कम करने हेतु निवेदन किया तो सरपंच साहब ने 3,50,000 रूपये कर देना तथा एक दो दिन बाद शेष रिश्वत राशि देने के लिये बताया है।'' श्री सुरेश कानि ने परिवादी की मन् पुलिस निरीक्षक से फोन पर वार्ता करवायी तो परिवादी द्वारा भी उक्त तथ्यों को दोहराया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र मालवी को कल दिनांक 22.09.2023 को प्रातः 10.00 एएम पर आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने हेतु आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया तथा श्री सुरेश कानि को मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर ब्यूरो उपस्थित होने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् समय करीब 8.00 पी.एम. पर श्री सुरेश कानि मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर उपस्थित ब्यूरो चौकी

आया और मन् पुलिस निरीक्षक को पूर्व मे बताये हालात निवेदन किये। वार्ता की सत्यता हेतु मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो परिवादी व कानि. के कथनों की ताईद होना एवं संदिग्ध आरोपी श्री खेम सिंह देवडा सरपंच द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द मालवी से रिश्वत की मांग करने की पुष्टि हुई। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा गया। हालात उच्च अधिकारियों को जरिये दुरभाष निवेदन किये गये।

तत्पश्चात् दिनांक 22–09–2023 को समय करीब 10.15 ए.एम. पर श्री अशोक कानि0 को तहरीर देकर अतिरिक्त निदेशक निदेशालय खाना एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर से दो स्वतंत्र गवाह को ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने हेतु सूचित कर पाबन्द करानें की हिदायत रवानाकर समय करीब 10.30 ए.एम.कानि0 अतिरिक्त निदेशक निदेशालय खाना एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर से दो स्वतंत्र गवाह पाबंद की तहरीर देकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हुआ। इसके बाद समय करीब 11.00 ए.एम. पर पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर पुत्र स्व. श्री भुवनेन्द्र भारती उम्र 42 वर्ष निवासी 54/423 न्यु विद्या नगर, श्री जी विहार हिरण मगरी सेक्टर नम्बर 04, उदयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर व श्री ललित गौड पुत्र श्री मानसिंह गौड उम्र 31 वर्ष निवासी मकान नम्बर 16, बोहरा गणेश जी मेन रोड, उदयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित हुए। उपस्थित दोनो गवाहान को कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 11.10 ए.एम. पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री सुरेन्द्र मालवी ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित हो बताया कि श्री खेमसिंह सरपंच साहब अपने मोबाईल नम्बर 9928717767 से मुझे मेरे मोबाईल नम्बर 9468582757 बार बार कॉल कर रिश्वत राशि लेकर डबोक बुला रहे है जिस पर मेने उन्हे बताया कि पुरे पैसे की व्यवस्था नहीं हुई है तो उन्होने कहा कि कुछ पैसे नगद दे देना और बाकी का बैंक का चेक दे देना। मैं श्री खेमसिंह देवडा सरपंच को दी जाने वाली रिश्वत राशि मे से 50,000 रूपये अपने साथ लेकर आया हूं तथा बैंक ऑफ इण्डिया ब्रांच डबोक का एक चेक राशि 2,65,000 रूपये का बैंक खाता संख्या 668210110004324 (एल. सोल्जर्स सिनीयर सेकण्डरी स्कुल) चैक संख्या 079167 अपने साथ लेकर आया हूं। जिस पर परिवादी को कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। इसके बाद समय करीब 11.20 ए. एम. पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह सम्मिलित रहने हेतु दोनों गवाहों से उनकी सहमति चाही गई तो दोनों ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाह का परिवादी से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.09.2023 पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द–ब–शब्द स्वयं की हस्तलिपि में अंकित होकर स्वयं के हस्ताक्षर होने तथा अंकित तथ्यों के सत्य होने की पुष्टि की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकालकर परिवादी एवं गवाहान के समक्ष उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 21.09.2023 के मुख्य अंश को चलाकर सुना गया तो गवाहान ने रिश्वत राशि मांग की पुष्टि की। परिवादी ने वार्ता में रिकॉर्ड एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज श्री खेमसिंह सरपंच की होना बताया। समय अभाव होने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट अकब से मुर्तिब की जावेगी।

तत्पश्चात समय करीब 11.40 ए.एम. पर स्वंतत्र गवाह श्री विशाल माथुर एवं श्री ललित गौड के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री खेम सिंह सरपंच ग्राम पंचायत मेडता को रिश्वत में दी जाने वाली राशि एवं बैंक चेक परिवादी श्री सुरेन्द्र मालवी से मांगने पर परिवादी ने पास से एक बैंक ऑफ इण्डियां शाखा डबोक उदयपुर का बैंक खाता संख्या 668210110004324 (एल. सोल्जर्स सिनीयर सेकण्डरी स्कुल) का एक चैक संख्या 079167 एवं 500–500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रूपये प्रस्तुत किये। परिवादी ने बताया कि शेष रिश्वत राशि 2,65,000 रूपये राशि उक्त चेक में भरकर मैं सरपंच साहब को दे दुंगा। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो एवं बैंक चेक के नंबरों का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि से मंगवाई जाकर टेबल पर अखबार बिछवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 50,000 रूपयें के नोटो एवं उपरोक्त बैंक चेक के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि से लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री ललित गौड से लिवाई गई जिसमें मोबाईल फोन के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं छोडी जाकर फिनोफ्थेलीन लगे हुए नोटों एवं बैंक चेक को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहीनी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि से मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री मांगीलाल कानि0 से प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलास में कार्यालय से साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल, में श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि की अंगुलियों व अंगुठे जिन पर फिनॉफथलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि एवं बैंक चेक मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों एवं चेक पर लगा फिनोलफ्थेलीन

पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को कानि0 श्री मांगीलाल कानि से कार्यालय से बाहर नाली में फिकवाया गया तथा उपरोक्त प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास व अखबार को जलाकर नष्ट किया गया। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी श्री खेमसिंह सरपंच को उनकी मांग अनुसार 50,000 रूपयें रिश्वती राशि एवं 2,65,000 रूपये का बैंक चेक उसके मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों गवाहान एवं परिवादी के हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं पुलिस निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने-अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात वह अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें या गोपनीय तरीके से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर कॉल कर ''सर्टिफिकेट आ गया है'' कॉडवर्ड में कहकर ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम को समझाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर परिवादी को के फोन में सेव करवाये। तत्पश्चात परिवादी श्री सुरेन्द्र मालवी को डिजिटल टेप रिकार्डर रिश्वत लेन देन की वार्ता की रिकार्डिंग हेतु संचालन की विधि पुनः समझाईस कर सुपुर्द किया गया। फिनोफ्थ्लीन पाउडर की शिशी को श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि से पुनः, कार्यालय की अलमारी में रखवाई गई। श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि को कार्यालय में राजकार्य हेतु छोडा गया। उपर्युक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् श्री लाल सिंह हेड कानि एवं श्री दिनेश कुमार कानि भ्र.नि. ब्यूरो एसयू उदयपुर तलबीशुदा उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। ततपश्चात् समय करीब 12.25 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र मालवी एवं सुरेश कानि तथा श्री नारायण लाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी को मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर परिवादी की कार से ब्यूरो कार्यालय से आगे-आगे रवाना कर पीछे - पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर, श्री लक्षमण सिंह क.सहा., श्री धिरेन्द्रसिंह कानि, श्री पंकज कुमार कानि मय ट्रेप बॉक्स आवश्यक संसाधन लेपटोप प्रिंटर के प्राईवेट टेक्सी वाहन से तथा स्वतंत्र गवाह श्री ललितसिंह, श्री लालसिंह हेड कानि, श्री दिनेश कुमार कानि एवं श्री टीकाराम कानि, श्री अशोक कुमार कानि के सरकारी वाहन से ब्यूरो कार्यालय से गांव मेडता डबोक की ओर रवाना हो समय करीब 12.53 पीएम पर डबोक कस्बे से पहले मुख्य सडक नेशनल हाईवे पर पहुचें। वाहनो को साईड में खडा किया। आरोपी की लोकेशन मालूमात करने हेतु परिवादी के मोबाईल नम्बर 9468582757 से आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच के मोबाईल नम्बर 9928717767 पर समय करीब 12.57 पीएम पर कॉल करवाया तो आरोपी ने परिवादी को रिश्वत राशि एवं चेक लेकर बैंक ऑफ इण्डियां शाखा डबोक पर बुलाया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गवाहान के समक्ष डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालूकर परिवादी को दिया जिसे उसने अपने पहने हुए कपडो में छुपाया, इसके बाद परिवादी को पुनः मुनासिब हिदायत देकर परिवादी एवं श्री नारायण लाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी को परिवादी की कार से बैंक ऑफ इण्डियां ओर रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान हमराहीन के बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डबोक के आसपास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे मे खडे रहे। समय करीब 01.16 पीएम पर परिवादी ने पूर्व निर्धारित ईशारा अपने मोबाईल नम्बर 9468582757 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 8003693300 पर कॉल कर रिश्वत राशि ग्रहण संबधित निर्धारित कॉडवर्ड बताया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गवाहान एवं हमरा जाब्ता को रिश्वत राशि ग्रहण का हाथ से ईशारा बताकर तेज कदमो से चलते हुए बैंक ऑफ इण्डिया के मुख्य द्वार चेनल गेट से बैंक शाखा के अन्दर प्रवेश किया जहां पर पर खडे परिवादी के पास एक व्यक्ति खडा मिला जिसकी ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही श्री खेमसिंह जी सरपंच साहब है जिन्होने मेरे से अभी अभी अपनी मांग के अनुसार मेरे से रिश्वत राशि 50,000 रूपये एवं बैंक ऑफ इण्डियां का एक चेक राशि 2,65,000 रूपये का मांग कर ग्रहण किया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री टीकाराम कानि को परिवादी से डिजिटल टेप रिकॉर्डर लेकर बंद करने की हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि मैं एवं श्री नारायण लाल जी दोनो मेरी कार से बैंक ऑफ इण्डियां पर आये। श्री खेमसिंह जी सरपंच साहब पूर्व से ही बैंक ऑफ इण्डियां में बेंच पर बेठे हुए थे। जिनसे मेने वार्ता की तो सरपंच साहब ने पटवारी से मेरे पक्ष में रिपोर्ट करवाने एवं अतिक्रमण नियमित करने के नाम से मेरे से 50,000 रूपये रिश्वत राशि एवं 2,65,000 रूपये का बैंक ऑफ इण्डिया के बैंक खाता संख्या 668210110004324 (एल. सोल्जर्स सिनीयर सेकण्डरी स्कुल) का एक चैक संख्या 079167 मांग कर ग्रहण कर रिश्वत राशि 50,000 रूपये अपनी पहनी हुई पेंट की बायीं जेब में रखे

तथा उसके बाद सरपंच साहब ने मुझसे कहा कि आप चैक मेरे नाम का ही लेकर आये हो। सरपंच साहब ने कहा कि मैं मेरे खाता संख्या बता देता हूं तूम बैंक की पर्ची भर दो। जिस पर मैं एवं सरपंच साहब बेंच से उठकर बैंक में रखी डेस्क के पास आकर मैं बैंक जमा पर्ची भरवाने लगे तो मेने बैंक जमा पर्ची में आज की दिनांक 22.09.2023 अंकित की तभी मेने मौका देखकर अपने मोबाईल फोन से आपके मोबाईल फोन पर रिश्वत राशि ग्रहण करने का कॉडवर्ड में गोपनीय पुर्व निर्धारित ईशारा किया। इसी दौरान सरपंच साहब को एसीबी कार्यवाही की भनक लगने से रिश्वत राशि 50,000 रूपये एवं बैंक चेक वापस अपनी जेब से निकालकर बैंक की डेस्क पर रखे। उस समय श्री नारायण लाल जी सहायक प्रशासनिक अधिकारी भी बैंक परिसर में उपस्थित थे। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना एवं हमराहियान का परिचय देकर अपने मंतव्य से अवगत करा उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पुछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम श्री खेमसिंह देवडा पुत्र श्री शम्भुसिंह देवडा उम्र 39 वर्ष निवासी गांव मेडता, पुलिस थाना डबोक, उदयपुर हाल सरपंच, ग्राम पंचायत मेडता, तहसील मावली, जिला उदयपुर होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति से दिनांक 21.09.2023 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता परिवादी श्री सुरेन्द्र मालवी से 10,000 रूपये ग्रहण करना एवं अभी अभी 50,000 रिश्वत राशि नगद तथा 2,65,000 रूपये का बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डबोक के बैंक खाता संख्या 668210110004324 (एल. सोल्जर्स सिनीयर सेकण्डरी स्कुल) का एक चैक संख्या 079167 ग्रहण करने के बारे में पुछा तो उसने बताया कि मेने किसी से कोई पैसे नहीं लिये है मैं किसी सुरेन्द्र को नहीं जानता हूं। मैं तो यहां पर बैंक मे खुद के काम से आया हूं। मुझे जाने दो मेने किसी से कोई राशि और चैक नहीं लिया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डेस्क पर रखे 500-500 रूपये के भारतीय मुद्रा के नोट एवं उसमें सिमटे हुए चेक के बारे में पुछा तो आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच ने बताया मुझे माफ कर दो मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। जिस पर स्वतः ही परिवादी ने बताया कि "मै मेडता डबोक में एल.सोल्जर्स सिनियर सैकण्डरी स्कूल का संचालक हूं, मेरा विद्यालय कृषि भुमि पर बना हुआ है, जिसके सम्बन्ध में तहसील से पंजिकृत पट्टा है। जुलाई 2023 के अन्तिम सप्ताह में मेडता गांव तहसील मावली के सरपंच श्री खेमसिंह खेडा द्वारा मेरे विद्यालय में आए तथा कुछ बच्चो की फिस माफ करने हेतु कहा तो मैने मना कर दिया क्युकि पुर्व में भी उनके द्वारा जबरन फीस माफ करवाई थी जिससे मुझे आर्थिक नुकसान हुआ था, इसके बाद इन्होने मुझे देख लेने की धमकी दी तथा 7/8/2023 को मेरे विद्यालय के विरूद्ध आबादी क्षेत्र की भुमि में अतिक्रमण हटाने से सम्बन्धित एक ऑनलाईन शिकायत दर्ज करवा दी तथा अब सरपंच साहब मेरे स्कूल के पट्टे को नियमित करवाने का दबाव डालकर मुझसे रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण की है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री खेमसिंह से पुनः तसल्ली देकर पुछा तो उसने बताया कि मैं मेडता ग्राम पंचायत का सरपंच हूं तथा एल.सोल्जर्स सिनियर सैकण्डरी स्कूल मेरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही आता है। मेने श्री सुरेन्द्र मालवी से उनके स्कुल के कृषि भूमि में बना होने के नाम से डरा धमकाकर इनके विरूध मेने स्वयं ने सम्पर्क पोर्टल पर ऑन लाईन शिकायत की थी। जिस पर ये मेरे पास आये थे तो मेने इनके विरूध शिकायत में कार्यवाही नहीं करवाने एवं पटवारी से सही रिपोर्ट बनवाने के नाम पर 4 लाख रूपये रिश्वत मांग की थी। श्री सुरेन्द्र मालवी ने मुझे कुछ दिन पुर्व 25,000 रूपये दिये थे तथा कल दिनांक 21.09.2023 को 10,000 रूपये मुझे दिये थे। आज इनको मेने सुबह फोन करके बैंक बुलाया था जिस पर इन्होने अभी मुझे 50,000 रूपये एवं एक बैंक ऑफ इण्डिया का 2,65,000 रूपये का मेरे नाम चेक भरा हुआ दिया जिसे लेने के पश्चात एसीबी कार्यवाही के भय से अपनी जेब से निकालकर डेस्क पर रखे थे। मुझे माफ कर दो मैं आईन्दा ऐसी गलती दुबारा नहीं करूंगा एवं अपनी नजरे निची कर ली। उपस्थित जाब्ता श्री नारायण लाल सहा.प्रशा.अधि. ने भी परिवादी के बताये तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मैं एवं परिवादी दोनो बैंक के अन्दर आये तब श्री खेमसिह सरपंच बैंक में लगी बैंच पर बेठे थे जिस पर मैं साईड में काउंटर की तरफ खडा रहकर उनकी बातचीत सुन रहा था एवं गतिविधि देख रहा था। मेरे सामने ही परिवादी ने सरपंच को 500-500 रूपये के नोट का बंडल एवं एक चेक दिया जिसे सरपंच ने अपनी पहनी हुई पेंट की बायीं जेब रखे थे। इसके बाद सरपंच एवं परिवादी दोनो डेस्क के पास गये तथा परिवादी जमा भर रहे थे तभी परिवादी ने अपने फोन से निधारित इशारा किया जिस पर मैं उनके पास गया तो सरपंच ने ब्यूरो कार्यवाही की शंका होने पर अपनी पेंट की जेब में रखे उक्त नोट का बंडल एवं चेक को निकालकर उक्त डेस्क पर रख दिया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बैंक में रखी डेस्क पर पडी हुई उक्त राशि 500-500 रूपये का बंडल, जमा पर्ची एवं बैंक चेक को गवाह श्री विशाल माथुर से उठवाकर गवाह के पास सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सुरेश कानि को उक्त डेस्क के पास सुरक्षा की दृष्टि से उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बैंक मेनेजर श्री मनीष सालवी, ब्रांच मेनेजर बैंक ऑफ इण्डियां शाखा डबोक उदयपुर को अपना एवं हमाराहियान का परिचय देकर अपने मंतव्य से अवगत करा बैंक मेनेजर से अग्रीम कार्यवाही करने हेतु एक कक्ष उपलब्ध कराने हेतु बताया। जिस पर उन्होने एक कक्ष उपलब्ध करवाया। श्री टीकाराम कानि ने मन् पुलिस निरीक्षक को बंद अवस्था में डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर दिया जिसे मेने अपने पास सुरक्षित रखा।

तत्पश्चात् आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशी एवं बैंक चेक के बारें में वास्तविकता जानने हेतु श्री टीकाराम कानि से टेक्सी वाहन में रखा ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। ट्रेप बॉक्स में से स्वतंत्र गवाह श्री ललितसिंह से दो नई पारदर्शी प्लास्टिक की डिस्पोजल की गिलासे निकलवाकर दोनो गिलासो में बैंक में रखी पीने के पानी की बोतल से साफ पीने का पानी भरवाकर स्वतंत्र गवाह श्री ललितसिंह से ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवाई जाकर एक एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर दोनों गिलासों में डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक पारदर्शी प्लास्टिक की गिलास के घोल में आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को श्री टीकाराम कानि से सिलचिट करा मार्क RH-1 व RH-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी के बांये हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को श्री टीकाराम कानि से सिलचिट करा मार्क LH-1 व LH-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसके पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर के पास रखी राशि एवं बैंक चेक को निकलवाकर श्री विशाल माथुर से ही गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रूपये होना पाया गया। उक्त नोटो का मिलान गवाह श्री विशाल माथुर से गवाह श्री ललित सिंह के समक्ष पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों कें नंबर से मिलान करवाया तो नम्बरो का मिलान निम्नानुसार हुबहु होना पाया गया। इसके पश्चात गवाह श्री विशाल माथुर के पास रखे उक्त बैंक चेक का मिलान फर्द में अंकित चेक एवं बैंक खाता नम्बरो से कराया तो उक्त चेक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डबोक के बैंक खाता संख्या 668210110004324 (एल. सोल्जर्स सिनीयर सेकण्डरी स्कुल) का चैक हो जिसके नम्बर 079167 होना पाया गया। जिस पर उक्त नोटों को वजह सबूत कागज की चिट में श्री टीकाराम कानि से सिलचिट करा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डबोक के बैंक खाता संख्या 668210110004324 (एल. सोल्जर्स सिनीयर सेकण्डरी स्कुल) का चैक जिसके नम्बर 079167 जिस पर दिनांक 22.09.2023 अंकित हो एवं उक्त जमा पर्ची को वजह सबूत कागज की चिट में श्री टीकाराम कानि से सिलचिट करा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री टीकाराम कानि के हाथो को दो बार साफ पानी एवं साबुन से धुलवाया गया। इसके बाद बैंक में रखी उक्त डेस्क जहां से रिश्वत राशि को बरामद किया गया स्थान का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से गवाह श्री ललितसिंह से ट्रेप बॉक्स मे से एक प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें पीने के पानी की बॉटल में से साफ पानी को गिलास में भरवाया जाकर गवाह श्री ललितसिंह से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। श्री टीकाराम कानि से ट्रेप बॉक्स में रखे रूई के फोहे को उक्त बरामदगी स्थल डेस्क के उपर घुमाया जाकर उक्त डिस्पोजल ग्लास में रखे घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थितिन द्वारा स्वीकार किया गया। इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को श्री टीकाराम कानि से सिलचिट करा मार्क D-1 व D-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच की जामा तलाशी श्री अशोक कुमार कानि से लिवाई गई तो उसके शर्ट की जेब में एक मोबाईल सेमसंग गेलेक्सी ए–12 बरंग ब्ल्यू ड्यूअल सिम मिला जिसे वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र मालवी से रिश्वत राशि लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट बंरग खाकी साईड की बांयी जेब में रखी होने की स्वीकारोक्ति की थी जिसकी प्रमाणिकता हेतु आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच की पहनी हुई पेन्ट का प्रकियानुसार धोवन लिया जाने हेतु बाजार से एक लॉवर खरीदकर मंगवाया गया तथा श्री खेमसिंह देवडा की उक्त पेन्ट को ससम्मान उतरवाई जाकर कयशुदा लॉवर पहनाया गया। एक कांच के गिलास में पीने के पानी के केम्पर में से साफ पानी भरवाया जाकर गवाह श्री ललितसिंह से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर हिलाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त गिलास के घोल में आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच की खाकी पेन्ट की साईड की बांयी जेब को गवाह श्री ललितसिंह से उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को श्री टीकाराम कानि से सिलचिट करा मार्क P–1 एवं P–2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त पेन्ट के संबंधित जेब पर आरोपी गवाहों तथा परिवादी बैंक मेनेजर के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त कर कपडे की थेली में श्री टीकाराम कानि से

सीलबंद करा उस पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही में प्रयुक्त किये गये डिस्पोजल ग्लासो एवं रूई का फोहे को जलाकर नष्ट किया गया। फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदी रिश्वत राशि पृथक से मुर्तिब कर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। अब तक की गई कार्यवाही के हालात उच्च अधिकारीयों को जरिये दुरभाष निवेदन किये। तत्पश्चात् समय करीब 02:45 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाह, परिवादी की उपस्थिति में आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच से परिवादी के स्कुल की शिकायत से संबधित दस्तावेजो के बारे में पुछा तो आरोपी ने बताया कि बैंक के पीछे मेरी कार खडी है जिसमें श्री सुरेन्द्र मालवी की शिकायत से संबधित दस्तोवज पडे है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपरोक्त गवाहान के समक्ष आरोपी को बैंक के पीछे खडी आरोपी की कार नम्बर आरजे 27 सीजे 8346 ब्रेजा से परिवादी से सम्बन्धित दस्तावेज निकालने हेतु कहने पर आरोपी ने उक्त कार में रखे एक थैले में से कुछ दस्तावेज निकाल कर प्रस्तुत किये। जिनका अवलोकन किया तो उक्त दस्तावेज में आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत मेडता के पत्रांक 2022–23 दिनांक 27.07.2023 द्वारा परिवादी के एल. सोल्जर्स सीनियर सैकण्डरी स्कूल मेडता के अवैध संचालन के सम्बन्ध में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, मावली को लिखित शिकायत से सम्बन्धित है। शिकायत के साथ खसरा संख्या 1800, 1801,1808 की जमाबंदी संलग्न है। ग्राम पंचायत मेडता के पत्रांक 2022–23 दिनांक 27.07.2023 द्वारा एल सोलर्ज्स स्कुल मेडता उदयपुर से स्कूल की मानयता, शिक्षक एंव अन्य स्कूल से सम्बन्धित सूचनाए चाहने हेतु पत्र की फोटो प्रति है। इसके अतिरिक्त पटवारी पटवार हल्का डबोक की मौका पर्चा रिपोर्ट की छायाप्रति एवं परिवादी के विरूद्ध ऑन लाईन पॉर्टल शिकायत से सम्बन्धित इत्यादि दस्तावेज किता–34 को गवाहन के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच की कार को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना डबोक में खडी करने हेतु श्री सुरेश कानि को हिदायत दे कार की चाबी देकर रवाना किया। इसके बाद समय करीब 03:00 पीएम मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच की उपस्थिति में रिश्वत राशि ग्रहण एवं बरामदगी स्थल बैंक ऑफ इण्डिया उदयपुर का फर्द घटनास्थल मुर्तिब कर गवाहान आरोपी एवं संबधितो के हस्ताक्षर कराये। श्री सुरेश कुमार कानि कार पुलिस थाना डबोक में खडी कर पुनः उपस्थित आया।

तत्पश्चात् दिनांक 22.09.2023 को समय करीब 03:15 पीएम पर इस समय जनप्रतिनिधि के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही होने से एवं मौके पर भीड भाड होने तथा बैक आम नागरिको की आवाजाही होने से सुरक्षा की दृष्टि हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन कर शेष कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री सुरेन्द्र मालवी एवं आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच मय ब्यूरो जाब्ता ट्रेप बॉक्स, लेपटोप प्रिंटर जब्तशुदा आर्टीकल सिलचिट धोवन शिशियां रिश्वत राशि बैंक चेक तथा परिवादी से संबधित दस्तावेज अपने साथ लेकर बाद कार्यवाही अपने अपने वाहनो से बैंक ऑफ इण्डिया डबोक से ब्यूरो कार्यालय के लिये रवाना हो समय करीब 04:05 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुई। इसके बाद दिनांक समय करीब 04:15 पी. एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 21.09.2023 को परिवादी एवं आरोपी खेमसिंह देवडा सरपंच के मध्य स्थान पुलिस थाना डबोक के पास पटवार मण्डल डबोक रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त टेप रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी–बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी को सुनाई गई। जिस पर परिवादी एवं आरोपी ने अपनी अपनी आवाज होने की ताईद की। जिस पर श्री सुरेश कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को सीलचिट किया जाकर मार्क "A" अंकित किया गया तथा गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। तत्पश्चात् समय करीब 05:40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डियां के नाम एक तेहरीर जारी कर प्रकरण में वजह सबूत बैंक के सीसीटीवी केमरा फुटैज को सुरक्षित रखने हेतु तेहरीर देने रवाना बैंक ऑफ इण्डिया डबोक की तरफ रवाना किया।

तत्पश्चात समय करीब 06:10 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 22.09.2023 को परिवादी एवं आरोपी खेमसिंह देवडा सरपंच के मध्य स्थान बैंक ऑफ इण्डियां शाखा डबोक परिसर में रूबरू हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त टेप रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी–बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी को सुनाई गई। जिस पर परिवादी एवं आरोपी ने अपनी अपनी आवाज होने की ताईद की। जिस पर श्री अशोक कुमार कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को सीलचिट किया जाकर मार्क "B" अंकित किया गया तथा गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को

अनसिल्ड रखा गया। इसके बाद समय करीब 07:30 पी.एम. पर आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच द्वारा पुलिस अधिकारी की मौजुदगी में संज्ञेय अपराध कारित किया गया। आरोपी को धारा 41 (1) बी जाफो की पालना की जाकर तथा इस समय तक की कार्यवाही से आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच ग्राम पंचायत मेडता पंचायत समिति मावली जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधित) एक्ट 2018 में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी द्वारा बताये गये उसके साले श्री गिरिराज सिंह को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 08:20 पीएम पर श्री सुरेश कुमार कानि. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डियां शाखा डबोक उदयपुर को प्रकरण में वजह सबूत बैंक के सीसीटीवी केमरा फुटैज को सुरक्षित रखने हेतु तेहरीर देकर प्राप्ति रसीद लाया जिसे शामिल कार्यवाही किया गया तथा समय करीब 08:40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री खेमसिंह को रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेनदेन वार्ता में उसकी आवाज ब्यूरो के रिकार्डर में रिकॉर्ड होने से उसे उसकी आवाज का नमूना देने हेतु पत्रांक 3179 दिनांक 22.09.2023 एवं की गई ट्रेप कार्यवाही के संबन्ध में अपने बचाव में स्पष्टीकरण पेश करने हेतु पत्रांक 3180 दिनांक 22.09.2023 दिया गया। जिस पर आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच ने उक्त पत्रो पर अपनी आवाज का नमूना नहीं देने एवं अपना स्पष्टीकरण बाद में पेश करने बाबत अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये। पत्र की प्रतियों को गवाह के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय करीब 09.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गवाहान के समक्ष गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच से परिवादी श्री सुरेन्द्र मालवी से दिनांक 21.09.2023 को दौहराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 10,000 रूपये ग्रहण किये गये थे के बारे में पुछा तो आरोपी ने बताया कि श्री सुरेन्द्र मालवी ने दिनांक 21.09.2023 को मेरी मांग के अनुसार 10,000 रूपये मुझे दिये थे वो रूपये मेने कल ही खर्च कर दिये है। अतः आरोपी श्री अखिलेश जारोली से पूर्व में रिश्वत में लिये गये 10,000 रूपये बरामद करने की संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त पुछताछ में आरोपी द्वारा पूर्व के कथन ही दोहराए गये एवं गलती करना स्वीकार किया। तत्पश्चात् समय करीब 10:00 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री सुरेन्द्र मालवी व आरोपी श्री खेमसिंह देवडा के मध्य दिनांक 21.09.2023 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 22.09.2023 हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता की रिकॉडिंग हेतु डिजिटल टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क अल्ट्रा 16 जीबी बंरग लाल व ग्रे को डिजिटल टेप रिकॉर्डर से निकालकर मेमोरी कार्ड के कवर में रख कर कवर पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर सफेद कपडे की को श्री टीकाराम कानि. सीलचिट करा मार्क M अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय करीब 11: 15 पीएम पर वक्त बरामदगी रिश्वत राशि आरोपी श्री खेमसिंह देवडा पुत्र श्री शम्भुसिंह देवडा उम्र 39 वर्ष निवासी गांव मेडता, पुलिस थाना डबोक, उदयपुर हाल सरपंच, ग्राम पंचायत मेडता, तहसील मावली, जिला उदयपुर की तलाशी के दौरान आरोपी की पहनी हुई शर्ट की जेब से जामा तलाशी में मिले एक मोबाईल फोन सेमसंग गैलेक्सी ए–12 बरंग ब्ल्यू जिसमें आईएमईआई नम्बर क्रमशः 351886695423704 एवं दुसरा आईएमईआई नम्बर 358434335423702 है, मोबाईल ड्यूल सिम होकर मोबाईल में एक सिम जीओ कम्पनी की जिसके नम्बर 6378762376 दुसरी सिम एयरटेल कम्पनी 9928717764 लगी हुई है। उक्त मोबाईल फोन के अवलोकन से परिवादी श्री सुरेन्द्र मालवी के विरूध ऑनलाईन पोर्टल पर की गई शिकायत से संबंधित दस्तावेज होने से मोबाईल को लेपटोप से कनेक्ट कर दस्तोवेज की प्रतियां निकालकर मोबाईल को वजह सबूत एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर जब्त किया जाकर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करा मार्क ''M-1'' अंकित किया गया।

तत्पश्चात् समय करीब 11.32 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 22.09.2023 को आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच ने अपने मोबाईल नम्बर 9928717767 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 9468582757 पर समय करीब 10.46 एम पर कॉल किया जिसे परिवादी ने अपने मोबाईल फोन के कॉल रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया। उक्त रिकॉर्डशुदा वार्ता को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के मोबाईल फोन को श्री अशोक कुमार कानि. से ब्यूरो के लेपटोप से अटेच करा मोबाईल फोन में दर्ज वार्ता को दो सीडी में कॉपी कर एक को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी–बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह, आरोपी एवं परिवादी को सुनाई गई। जिस पर परिवादी एवं आरोपी ने अपनी अपनी आवाजा होना स्वीकार किया। श्री अशोक कुमार कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी को सीलचिट किया जाकर गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर ''C'' अंकित किया गया। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया।

तत्पश्चात् दिनांक 23.09.2023 को समय करीब 12:40 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री खेम सिंह देवडा सरपंच को रात्रि में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना भूपालपुरा में जमा कराने श्री टीकाराम कानि. व श्री अशोक कानि. जरिये तहरीर मय सरकारी वाहन के रवाना हो आरोपी श्री खेम सिंह देवडा सरपंच को रात्रि में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना भूपालपुरा में जमा करवा ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। तत्पश्चात् समय करीब 01.20 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा सिलचिट मालखाना आर्टीकल को सुरक्षा की दृष्टि से मालखाना प्रभारी श्री टीकाराम कानि.को सुरक्षित हालात मे संभलाकर मालखाना रजिस्टर में दर्ज करने की हिदायत दी गई तथा परिवादी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन को मुनासिब हिदायत देकर रूकसत किया गया। इसके बाद समय करीब 10.30 ए. एम. पर आरोपी श्री खेमसिंह देवडा को पुलिस थाना भूपालपुरा उदयपुर के हवालात से प्राप्त कर स्वास्थय परीक्षण करा लाने हेतु तेहरीर देकर श्री टीकाराम कानि, एवं श्री अशोक कुमार कानि मय सरकारी वाहन मय चालक को रवाना हो आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच को पुलिस थाना भूपालपुरा उदयपुर के हवालात से प्राप्त कर बाद राजकीय एमबी चिकित्सालय उदयपुर से स्वास्थय परीक्षण करा ब्यूरो ईकाई पर उपस्थित आये। तत्पश्चात् समय करीब 11.30 ए.एम. पर श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मेडता पंचायत समिति मावली उपस्थित हुए जिनसे आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच की कार से बरामद परिवादी के विद्यालय से सम्बन्धित दस्तावेज बताये तो दस्तावेत का अवलोकन कर श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल ने बताया कि यह दस्तावेज सरपंच साहब स्वयं के है। उन्होने स्वयं ही एम. सोल्जस सीनियर सैकण्डरी स्कूल के विरूद्ध शिकायत की है जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत स्तर पर कोई कार्यवाही लम्बित नहीं है। ग्राम पंचातय का लेटर पेड सरपंच साहब श्री खेमसिंह देवडा द्वारा स्वयं ही बनवाया गया है। जिस पर उनके हस्ताक्षर तथा सरपंच ग्राम पंचायत मेडता प.सं. मावली की सील है। तत्पश्चात् श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल हाल ग्राम विकास अधिकारी को उक्त ट्रेप में ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई वार्ता दिनांक 21.09.2023 को हुई मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 22.09.2023 को हुई लेन देन वार्ता व परिवादी के द्वारा अपने मोबाईल में रिकॉर्ड की गई वाताओं की डब सीडियॉ लेपटॉप में चलाकर बारी बारी से सुनाई गई तो सीडियो में दर्ज वार्ताओ में श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल हाल ग्राम विकास अधिकारी द्वारा एक आवाज श्री खेमसिंह देवडा सरपंच ग्राम पंचातय मेडता पंचायत समिति मावली की होना बताया एवं अन्य आवाज के बारे में जानकारी नहीं होना बताया। श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल हाल ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि मै मार्च–2022 से मेडता ग्राम पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी वार्ता श्री खेमसिंह देवडा सरपंच साहब से आमने सामने एवं मोबाईल फोन पर होती रहती है। इसलिए मै उनकी आवांज को भलीभॉति पहचानता हू। तत्पश्चात् समय करीब 12.05 पी.एम. पर श्री कन्हैयालाल डांगी हाल पटवारी पटवार मण्डल डबोक अपने साथ पटवार हल्का डबोक बामणिया खेत के खसरा संख्या 1808, 1800, 1801,1802,1809 की जमाबंदी प्रतियॉ लेकर उपस्थित हुए जिनसे आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच द्वारा की समपर्क पोर्टल पर ऑनलाईन की गई शिकायत के बारे मे पुछा तो उन्होने बताया कि दिनांक 20.09.2023 को तहसील मावली से ऑनलाईन शिकायत एग्रीकल्चर भूमि पर स्कुल बना हुआ होने से संबधित प्राप्त हुई। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी की कार से बरामद एक पटवारी रिपोर्ट की फोटो प्रति को श्री कन्हैयालाल पटवारी को बताया तो उन्होने बताया कि श्री खेमसिंह देवडा सरपंच ग्राम पंचायत मेडता ने एक शिकायत उक्त एल सोल्जर्स स्कुल से संबधित जनसुनवाई के दोरान की थी जिस पर मेरे द्वारा रिपोर्ट बनाकर ग्राम पंचायत को दी थी। उक्त रिपोर्ट मेरे द्वारा ही बनाकर दी गई थी। उक्त शिकायत का निस्तारण होना वर्तमान में लम्बित है। ईमरोजा माननीय न्यायालय में राजकीय अवकाश होने से श्रीमान् निदेशक अभियोजन से जरिये दूरभाष वार्ता कर समय करीब 01.00 पीएम पर गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री खेमसिंह देवडा सरपंच, ग्राम पंचायत मेडता पंचायत समिति मावली जिला उदयपुर को माननीय न्यायालय एडीजे–01, उदयपुर श्रीमती सुरजीत कोर के समक्ष निवास पर मय रिमाण्ड एवं पत्रावली के कानि0 श्री टीकाराम, श्री मांगीलाल एवं श्री अशोक कुमार के साथ रवाना हो आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहॉ से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के आदेश होने से आरोपी को जरिये जेसी रिमाण्ड केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा करवा प्राप्ती रसीद प्राप्त की गई।

इस प्रकार आरोपी श्री श्री खेमसिंह देवडा पुत्र श्री शम्भुसिंह देवडा उम्र 39 वर्ष निवासी गांव मेडता, पुलिस थाना डबोक, उदयपुर हाल सरपंच, ग्राम पंचायत मेडता, पंचातत समिति मावली, जिला

उदयपुर द्वारा एक लोक सेवक के पद पर होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी के एल.सोल्जर्स सिनियर सैकण्डरी स्कूल में जबरन फीस माफ करने का दबाव बनाकर परिवादी के विरूध सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाईन शिकायत आबादी भूमि पर स्कुल बनाकर अतिक्रमण करने के संबन्ध में की गई तथा स्कुल का आबादी अतिक्रमण नियमित करवाने के नाम से रिश्वत की मांग कर रहे है। जिस पर मांग सत्यापन करवाया गया तो रिश्वत राशि की पुष्टि होने पर दिनांक 22.09.2023 को दौरानें ट्रेप कार्यवाही श्री खेमसिंह देवडा सरपंच ग्राम पंचायत मेडता को 50,000 रूपये नगद एवं आरोपी के स्वयं के नाम 2,65,000 रूपये का बैंक ऑफ इण्डिया का चेक (कुल रिश्वति राशि 3,15,000) ग्रहण करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपी के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 1988 (यथा संशाधित 2018) के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा। अतः बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जावेगी।

भवदीय

(डां. सोनू शेखावत)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
उदयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री खेमसिंह देवडा पुत्र श्री शम्भुसिंह देवडा, निवासी गांव मेडता, पुलिस थाना डबोक, उदयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत मेडता, पंचायत समिति मावली, जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 259/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

25/9/23

(कालू राम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस ।।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

क्रमांकः- 2857-60 दिनांक 23.09.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

25/9/23

उप महानिरीक्षक पुलिस ।।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर